SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

अभाव–ग्रस्त परिवार एवं किशोर अपराधः एक विधिक अध्ययन

रवीन्द्र कुमार, विधि संकाय
डी. ए. वी. डिग्री कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
रवीन्द्र कुमार
E-mail : kravindra672@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 24/12/2025
Revised on : 25/02/2026
Accepted on : 06/03/2026
Overall Similarity : 00% on 26/02/2026

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
0%
Overall Similarity

Date: Feb 26, 2026 (04:23 PM)
Matches: 0 / 2919 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

Verify Report: Scan this QR Code

शोध सार

किशोर वर्ग की आयु–अवस्था संक्रमण–कालीन आयु अवस्था होती है। मानसिक रूप से अपरिपक्व व्यक्तियों के लिए परिवार व परिवार का समर्थन सबसे कारगर उपचार के रूप साबित होता है। एक स्वस्थ परिवार व अभाव – रहित परिवार में पले – बढ़े बच्चे अपेक्षाकृत अपराध के दुनिया में जाने से बचते हैं। एक किशोर का भविष्य प्रथम दृष्ट्या उसके परिवार द्वारा निर्धारित होता है। किशोर के मन मे आपराधिक मनोवृति न आये इसके लिए जरूरी है की किशोर के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार हो और उनके द्वारा कारित उचित – अनुचित कृत्य में अंतर स्पष्ट कराया जाये। कानूनी तौर पर व सामाजिक तौर पर भी आवश्यक है कि हम किशोरों के प्रति नरमी और ईमानदारी से पेश आये। आपराधिक मनोवृति वाले किशोरों के उपचार में एक स्वस्थ, संगठित तथा शिक्षित परिवार की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। जिसका कारण है, परिवार एक बढ़ते बच्चे का प्रथम विद्यालय है और परिवार के सदस्य किशोर के लिए सबसे प्रभावी शिक्षक होतें हैं।

मुख्य शब्द

आयु, किशोर, परिवार, अपराध, मनोवृति, विधि, उपचार.

भूमिका

व्यक्ति, जन्म से लेकर मृत्यु तक के अपने जीवन सफर को कई चरणों में पूरा करता है। चिकित्सकों द्वारा, आयु के आधार पर जीवन के इन सभी चरणों को मुख्य रूप से चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है:

1. **बाल अवस्था:** प्रथम आयु अवस्था जो शिशुकाल के पश्चात प्रारंभ होती है व 8 – 10 वर्ष तक जारी रहती है। इस अवस्था में बालक आस – पास के चीजों को जानता व पहचानता, अनुकूलित व

अनुशासित होता है।

2. **किशोर अवस्थाः** व्यक्ति के जीवन का संक्रमणकाल है। इस अवस्था का व्यक्ति वातावरण से संक्रमित होता है। मन के विचार स्थिर नहीं होतें। इस अवस्था को आवेग की अवस्था के रूप में भी देखा जाता है। किशोर अवस्था की आयु 8–10 आयु वर्ष से प्रारंभ व 20–23 आयु वर्ग तक चलती है। हालांकि आयु आधारित विभाजन पर विद्वानों में एकमत राय नही है।
3. **युवा अवस्थाः** तीसरी अवस्था आक्रमकता से स्थिरता के तरफ जाती है। युवा अवस्था सबसे ऊर्जावान व सबसे लंबी चलने वाली अवस्था है। यह 23 – 25 की उम्र तक शुरू होती है।
4. **वृद्धा अवस्थाः** चौथी अवस्था व्यक्ति के आयु की आखिरी अवस्था होती है। वृद्धा अवस्था तक व्यक्ति 50 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होता है।

विधिशास्त्रियों ने भी आयु आधारित विभाजन के सिद्धांत को अपनाया है। विधिक सिद्धांतों में मानसिक अवस्था व आयु को अपराध कारित करने की क्षमता अक्षमता के रूप में देखा जाता है। अपराधशास्त्र में व्यक्ति द्वारा किये गये अपराध की प्रवृति को अपराधी के मानसिक अवस्था व उसके आयु से अनुमान लगाया जाता है। दंडशास्त्र भी किसी व्यक्ति को दंडित किए जाने के पूर्व उसकी आयु का आंकलन करने के सिद्धांत पर बल देता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 पूर्व में भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को विशेष प्रतिरक्षा के तौर पर "सामान्य अपवाद" की श्रेणी मे रखा गया है। साथ ही, अन्य भारतीय अधिनियमों में भी अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को विधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है।

अपराध का संबंध आयु मात्र से ही नहीं होता बल्कि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं व आस – पास के वातावरण से भी प्रभावित होता है। शिक्षाविदों का मानना है कि किशोर के मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव उसके परिवार की संरचना व संतुलन का होता है। किशोर प्रथम बार अपने परिवार से ही सीखता है प्रतिक्रिया करना, भाव प्रकट करना, संवेदना दिखाना। इन चीजों में कमी या संवेदना विहीन हो जाना अपराध के तरफ बढ़ते झुकाव का प्रथम कारण बनता है।

किशोरों की भी निजी समस्याएं व मानसिक घुटन है; जिनके निराकरण के आभाव में किशोर अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। किशोर द्वारा चयनित गैर–विधिक कृत्य स्वाभिवक्ता में न होकर अनुकूलित वातावरण के परिणामस्वरूप होता है। अपरिपक्वता किशोरों में बढ़ते अपराध का प्रमुख वजह है। किशोरों में बढ़ते अपराध के लिए कारकों को जनक प्रथम स्तर पर अभाव–ग्रस्त परिवार है।

साहित्य समीक्षा

साहित्य समीक्षा के दौरान अभाव – ग्रस्त परिवार के किशोर आपराधिक दुनिया में अग्रसर होते प्रतीत होतें हैं। साहित्यकारों का ऐसा मानना है कि किशोर–अवस्था संक्रमणकालीन है, जिसमें किशोर की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, जिन्हें पूर्ण करने के लिए वह अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। परिवार में अशिक्षा, अव्यवस्था, खराब पारिवारिक संगठन, अनुचित देख–भाल, किशोरों के साथ कठोरता किशोरों के मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

विधि के साहित्य के अवलोकन के पश्चात तथ्य और अधिक स्पष्ट होतें हैं। किशोर अपराध कारित नहीं करतें, बल्कि परिवेश व वातावरण किशोरों को आपराधिक दुनिया की ओर आने पर मजबूर करता है। विधिक साहित्य में किशोरों के हित मे बनाये गये नरम विधि इस ओर इशारा करते हैं कि किशोर भविष्य के पूंजी हैं।

अध्ययन का प्रसार

विधि केंद्रित विषय, "अभाव–ग्रस्त परिवार एवं किशोर अपराधरू एक विधिक अध्ययन" किशोरों में बढ़ते अपराध व किशोरों के ऊपर उनके अभाव–ग्रस्त परिवार के प्रभाव को विधि के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया गया है। किशोर द्वारा कारित आपराधिक कृत्य एक सामाजिक समस्या मात्र न होकर विधिक चुनौती भी है। विधि, सामाजिक संतुलन स्थापित करने का प्रथम साधन है। किशोरों के हितों की रक्षा विधि द्वारा ही संभव है। अतः इस विषय को विधिक

दृष्टिकोण से समझ जाना चाहिये। इस लेख में प्रस्तुत विचार लेखक के अध्ययन और अनुभव पर आधारित हैं, जिससे कुछ सीमाएँ भी हैं।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस लेख को लेखक द्वारा गुणात्मक शोध पद्धति के प्रयोग से लिखा गया है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का समन्वयात्मक प्रयोग है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत भारतीय आपराधिक विधि के विभिन्न सिद्धांत, अधिनियम तथा किशोरों के जीवन में परिवार के महत्व का विवरणात्मक अध्ययन सम्मिलित है।

अध्ययन की मौलिकता अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र और स्थानीय समाजिक परिस्थिति के यथार्थ के संश्लेषण में निहित है। लेख को और अधिक परिस्कृत करने के ध्येय से द्वितीयक स्रोत में लेखक ने शीर्षक से जुड़ी विषय संबंधित प्रामाणिक पुस्तकों, शोध–पत्रों, विश्वसनीय लेख, तथा ऑनलाइन डेटाबेस से प्राप्त तथ्यों का व्यवस्थित विश्लेषण किया है।

विचार – विमर्श

परिवार: परिवार की परिकल्पना मनुष्य की सबसे उत्तम प्रकृति की सामाजिक पहल रही है जिसमें एक बड़ी संख्या में विभिन्न पहचान वाले व्यक्ति एक साथ व एक–दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना जीवन यापन करते हैं जिन्हें संयुक्त परिवार के रूप में जाना व समझ गया, परंतु आज का दौर एकल परिवार का दौर है। सामाजिक समरसता में कमी आने, एक–दूसरे से दूरियाँ बढ़ने के कारण किशोरों के ऊपर एकल परिवार तथा एकल परिवार के पारिवारिक संरचना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

किशोर: विभिन्न भारतीय अधिनियमों में अधिनियमित शब्द "किशोर" का तात्पर्य आयु से है, जो 18 वर्ष तक की आयु व्यक्ति को किशोर के उम्र की सीमा तय करता है। हालांकि विशेष परिस्थिति में किशोरों द्वारा कारित कृत्य के आधार पर उनके परिपक्वता की जाँच करते हुए उम्र की सीमा को तोड़ा या जोड़ा जाता है। यहाँ सपष्ट रहना चाहिए की किशोर शब्द का भावार्थ पुलिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों से है।

अपराध: भारतीय विधि की अलग–अलग अधिनियम में शब्द "अपराध" को परिभाषित किया गया है। अपराध से तात्पर्य है, ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा प्रतिबंधित हो या विधि द्वारा किसी न किसी रूप में दण्डित किये जाने की श्रेणी में हो।

भारत में किशोर अपराध का आरेखीय व मानचित्रीय तथ्यांक

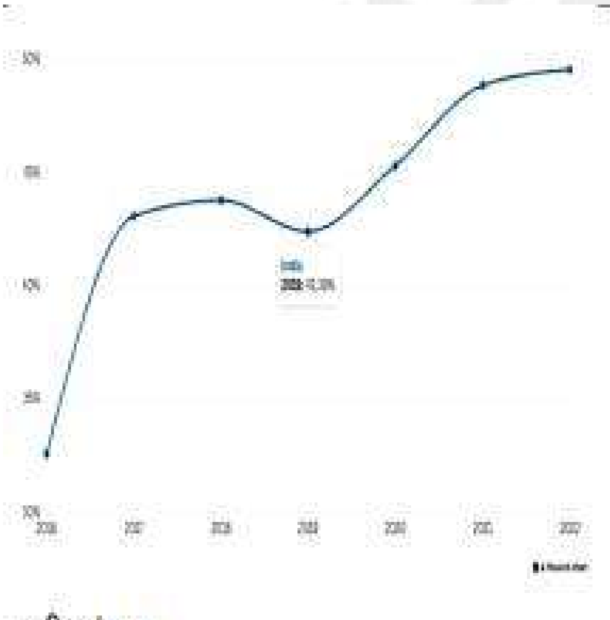

तस्वीर संख्या 1

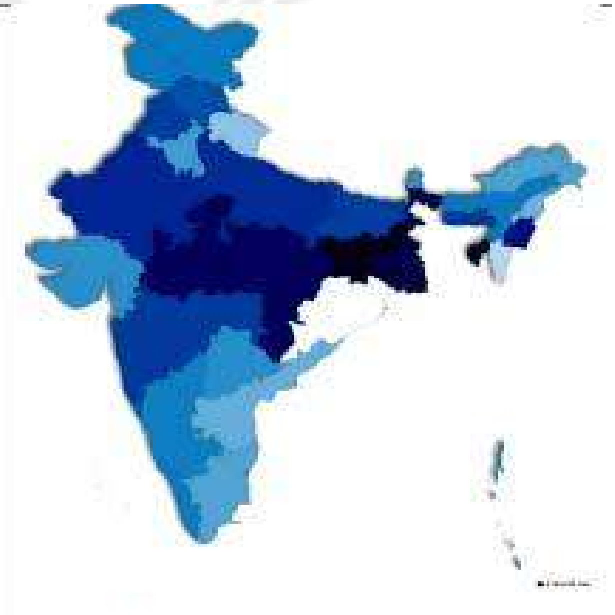

तस्वीर संख्या 2

तस्वीर संख्या 1, समझने के लिए पर्याप्त है कि समय के साथ किशोर, आपराधिक दुनिया में अधिक अग्रसर हुये है। वहीं तस्वीर संख्या 2 भौगोलिक दृष्टिकोण से भारतीय किशोरों के बीच बढ़ते अपराध को व्यवस्थित रूप से दिखाता है। यह तथ्यांक "द हिन्दू" नामक समाचार–पत्र से लिया गया है।

किशोर अपराध के कारण

किशोरों के बीच बढ़ते आपराधिक मनोवृति व अपराध कारित करने के कारणों की विधिवत विश्लेषण करने के उपरांत उपरोक्त सभी कारणों को दो प्रमुख वर्ग में विभाजित किया जा सकता है जो अन्य उपशाखाओं में विभाजित हो हैं। दो प्रमुख कारण हैः 1) सामाजिक कारण एवं 2) व्यक्तिगत कारण।

1. **सामाजिक कारणः** किशोर सामाजिक परिवेश के कारण जब दिग्भ्रमित हो जायें और अपराध की तरफ अग्रसर हो, यह परिस्थिति किशोरों में बढ़ते अपराध का सामाजिक कारण है। स्वस्थ परिवार व पारिवारिक संगठन किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमी है। अभाव ग्रस्त परिवार, किशोर को बेहतर विकल्प प्रदान नहीं करता। वहीं अव्यवस्थित परिवार भी किशोरों के मानसिक वृद्धि मे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। स्वस्थ, सुविधा पूर्ण व व्यस्थित परिवार किशोर के लिए सही मार्गदर्शन व उनके मस्तिष्क पर सकारात्मक संक्रमण का कार्य करता है। पारिवारिक पृष्टभूमि का किशोर के निजी जीवन तथा उसके कार्य करने की क्षमता व कार्य के चुनाव पर सीधा प्रभाव होता है। बिन्दुवार देखें तो निम्न सामाजिक कारण संभव हैं, जिनके परिणामतः एक किशोर अपराध की तरफ अग्रसर होतें हैंः

- ➢ पारिवारिक संरचना का ठीक न होना, आपसी सहयोग व लगाव का अभाव तथा किशोरों को परिवार के सदस्यों द्वारा उचित समय न देने की स्थिति में, किशोर दिग्भ्रमित हो जातें हैं।
- ➢ किशोरों के विकास के समय उनके पालन–पोषण में कमी होती है, उनके साथ दोस्त जैसा व्यवहार न होकर उनके विरुद्ध एक कठोर रणनीति अपनायी जाती है, अनुचित पालन पोषण से भी किशोर गलत संगति के शिकार बनते हैं।
- ➢ किशोर काल, संक्रमण काल होता है। किशोर जिस परिस्थिति में रहते हैं, उस जीवन को अपनाते हैं। अतः अस्वस्थ पड़ोस व आवसीय वातावरण का सीधा प्रभाव किशोर के मनोवृति पर पड़ता है।
- ➢ अपराध के लिए अवसर की उपलब्धता भी किशोर को जल्दी संक्रमित करती है। वह तेजी से अपराध की दुनिया में अपने पैर जमाने का प्रयास करते हैं। इसमें परिवार की एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है।
- ➢ किशोरों के कार्यों का सही आकलन व निगरानी न होना बल्कि इसके विपरीत उन्हें अत्यधिक आर्थित लाभ देकर भी किशोर को अविधिक कार्यों के प्रति बढ़ावा मिलता है। इन कारणों से किशोरों में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल आम होता जा रहा है।
- ➢ परिवार की सामाजिक उपेक्षा और किशोरों के साथ इन आधारों पर भेदभाव, जिसमें किशोर की गलती भी नहीं होती है। संयुक्त कारण बनते हैं, जिनके वजह से किशोर मुख्य धारा को छोड़ आपराधिक मार्ग का चुनाव करतें हैं।
- ➢ आधुनिक गतिविधियां मोबाईल, इंटरनेट, सेंसर रहित फिल्मों तक किशोरों की पहुँच व दुरूपयोग तेजी से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का क्षरण करता है। अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि वह किशोरों के साथ नरमी से पेश आयें व गतिविधियों का आकलन करते रहें।
- ➢ किशोर अवस्था में यौन शिक्षा का महत्वपूर्ण है। यौन शिक्षा न होने के स्थिति में किशोर न सिर्फ अनजाने में यौन अपराध कारित करते हैं बल्कि यौन अपराध के शिकार भी हो जातें हैं। यौन शिक्षा का महत्व सिर्फ यौन अपराध से बचना ही नहीं है बल्कि दूसरे लिंग के व्यक्ति के भाव को भी समझना शामिल है।

2. **व्यक्तिगत या निजी कारणः** किशोर अवस्था का प्रारंभ व्याकुलता के साथ होता है; जिसमें बहुत कुछ जानने व पाने की महत्वकांक्षा होती है। दूसरों से प्रभावित होना या दूसरों के जैसा बनना इस अवस्था की सबसे लाभकारी व सबसे हानिकारक मनोवृति है। यह परिस्थितियाँ किशोर के व्यक्तिगत या निजी कारण के रूप मे दर्शाया जा सकता

है। परिवार जब आर्थिक रूप से कमजोर होता है, वह किशोर के आवश्यक चीजों को भी पूरा करने में असफल होता है। इस तरह परिवार का अभाव – ग्रस्त होना, किशोरों के सफल विकास में बाधा बनती है। बिन्दुवार देखें तो निम्न व्यक्तिगत या निजी कारण संभव हैं, जिनके परिणामतः एक किशोर अपराध की ओर दिग्भ्रमित होतें हैं।

- अशिक्षित परिवार व अभाव – ग्रस्त परिवार किशोर को मानसिक तनाव प्रदान करता है; जिससे किशोर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिर जातें है। इन अभाव से निकल बाहर आने के लिए किशोर अपरिपक्वता में गलत रास्तों का चयन कर लेते हैं।
- किशोरों में स्वयं से परिस्थितियों का आंकलन कर सीखने की अक्षमता होती है। किशोरों में घोर संज्ञानात्मक कमियाँ पायी जाती है जिसका केंद्र कारण पारिवारिक पृष्ठभूमी होती है।
- कम आयु के व्यक्ति में तेज आक्रामकता की प्रवृत्ति होती है; जो कि पूर्णतः अविवेकशील क्रिया है। आक्रमकता की प्रवृति अनचाहे अपराध कारित करने के ठोस कारणों में से एक है। तेज आक्रमकता की प्रवृति परिवार द्वारा अधिक दुलार–प्यार होता है। यह निजी समस्या है मगर इसका जिम्मेवार परिवार ही होता है।
- अभाव ग्रस्त परिवार के किशोरों में कम आत्म–सम्मान और स्वयं के प्रति हीन–भावना देखी जाती है। उनके साथ सामाजिक जगहों पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने में परिवार भी असमर्थ होता है। इस तरह किशोर हीनभावना के भी शिकार हो जाते हैं।
- अपरिपक्वता, नैतिक विकास में कमी का सबसे बड़ा कारण होता है। परिवार में अशिक्षा व नैतिक मूल्यों में कमी किशोर के जीवन में भी नैतिक गिरावट का कारण बनता है। एक अभाव ग्रस्त परिवार दबाव में घिरा रहता है जिसके कारण किशोर के जीवन में भी नैतिक विकास की कमी देखी जाती है।

उपचार

किशोर के प्रगतिशील सोच, बौद्धिक सोच तथा मानसिक विकास की जिम्मेदारी उसके परिवारिक की ही होती है। आकलन की क्षमता होने के उपरांत ही किशोर अपराध की दुनिया की ओर अग्रसर होने से बच पायंगें। अभिभावकों को किशोर का प्रथम हितैसी माना गया है। किशोरों को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए कई उपचार संभव है। परंतु उपचार के लिए प्रमुखत्ता से जिस दो स्तर पर आवश्यक है, वह निम्न हैं:

- **प्राथमिक स्तरः** किशोरों को आपराधिक दुनिया से बचाने के लिए परिवार की पहल सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्तर पर मजबूत परिवार में पले – बढ़े किशोर मानसिक रूप से अधिक परिपक्व होतें हैं। व्यवस्थित व शिक्षित परिवार मानसिक विकास में सकारात्मक बल प्रदान करता है। परिवार में दी जानी वाली यौन शिक्षा व भाव समझने की क्षमता भी किशोर को नैतिक रूप से जिम्मेवार बनाने में सहायक होता है। संक्षेप में, समस्त आकलन इस बात को स्पष्ट करता है कि किशोर के सम्पूर्ण विकास व आपराधिक दुनिया से दूर रखने में प्राथमिक स्तर पर परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **द्वितीयक स्तरः** इस स्तर पर किशोर को आपराधिक दुनिया से दूर रखने में राज्य व समाज की भूमिका विशेष है। राज्य संविधानिक प्रावधानों व अन्य अधिनियमों को अधिनियमित कर किशोर के अधिकारों की रक्षा करती है। किशोरों के हित में संचालित संस्थाओं जिनमें शिक्षण संस्था प्रमुख है के माध्यम से भी किशोरों को सशक्त बनाने के कार्य करती है। इन सरकारी गतिविधियों व कार्यक्रमों के माध्यम से किशोरों के आपराधिक मनोवृति को कम किया जा सकता है।

सामाजिक स्तर पर किये गये प्रयास भी किशोरों को अपराध की तरफ अग्रसर होने से रोकते हैं। इनके आलवा गैर–सहकारी संस्थाये भी किशोरों को अपराध की दुनिया से दूर रखने मे सहायक होतीं हैं।

निष्कर्ष

किशोर भविष्य के सामाजिक पूंजी हैं। किशोरों के अधिकारों तथा हितों का हनन मानवाधिकार का सबसे बड़े उल्लंघन है। किशोर आक्रमक प्रवृति के महत्वकांशी मस्तिष्क के होते हैं, उनका मस्तिष्क बेहद संक्रमणशील होता है।

किशोरों के दिनचर्या, उनके द्वारा कारित कृत्य व उनके उतावलेपन पर किशोर के परिवार का व्यापक प्रभाव होता है। परिवार ही वह प्रथम कड़ी है जो किशोरों को अच्छे या बुरे कार्यों के प्रति चाहे या अनचाहे अवसर प्रदान करती है। एक अभाव–ग्रस्त परिवार किशोर को आपराधिक दुनिया की तरफ अग्रसर होने में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में साबित होता है। अशिक्षा, परिवार द्वारा खराब अनुभव, आवश्यक चीजों में कमी एवं अन्य कमियाँ किशोर को सर्वप्रथम अनैतिकता की ओर ले जातें है।

किशोरों के हितों की रक्षा परिवार, समाज व विधि द्वारा की जा सकती है मगर यह एकल प्रयास से संभव नहीं है। किशोरों के साथ न सिर्फ दोस्ताना व्यवहार रखना होगा बल्कि उनके गतिविधियों पर ठोस नजर रखनी चाहिये। किशोरों के निजी जरूरतों का ध्यान रखना व विषम परिस्थिति में उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिये। वहीं दूसरी तरफ राज्य का सांविधानिक दायित्व है कि किशोरों के लिए संविधान में प्रदत अनुच्छेदों व अधिनियमित अधिनियमों का सकरात्मक रूप से कार्यान्वित करे। सामाजिक स्तर पर भी किशोरों के मनोबल को बढ़ाने व हीनभावना में डूबने से बचाने के लिए व्यापक प्रयास किये जाने चाहिये।

संदर्भ सूची

1. https://childdevelopmentinfo.com/ages-stages/, Accessed on 02/10/2025.
2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10002383/, Accessed on 27/09/2025.
3. Parthasarathy S: Adolescence, India edition: Country sees sharp rise in violent crimes among juvenile offenders (The Hindu, Published - June 13, 2025) available at: https://www.thehindu.com/data/adolescence-india-edition-country-sees-sharp-rise-in-violent-crimes-among-juvenile-offenders/article69686354.ece, Accessed on 03/10/2026.
4. Kyle G. Knapp & Brendan Lantz: Trends in Juvenile Offending What You Need to Know available at: https://counciloncj.org/trends-in-juvenile-offending-what-you-need-to-know/, Accessed on 22/09/2026.
5. Sharma, Rahul: An Analytical Study of Juvenile Delinquency in India with Reference to 2021(March 2022Legal Research Development 6(III):13-15, DOI:10.53724/lrd/v6n3.06) available at: https://www.researchgate.net/publication/359820228_An_Analytical_Study_of_Juvenile_Delinquency_in_India_with_Reference_to_2021, Accessed on 02/10/2026.
6. कुमारी रीता; भारत में बढ़ते बाल अपराध की समस्याओं का अध्ययन (2016 JETIR May 2016, Volume 3, Issue 5) available at: https://www.jetir.org/papers/JETIR1701319.pdf , Accessed on 18/09/2026.
7. Vibhuti K. L., P S A Pillai's Criminal law, *LexisNexis,* Haryana 13th edn., 2017.
8. Paranjape N. V., Criminology and Penology (Central Law Agency, Prayagraj 19th edn., 2019).
9. सिंह शिवशंकर (2023) *बच्चो के विरुद्ध अपराध एवं किशोर अपराध,* सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, द्वितीय संस्करण।
10. जैन, एम. पी. (2012) *भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास का रूपरेखा,* लेक्सिसनेक्सिस बटरवर्क्स वाधवा, नागपुर, छठा संस्करण।
11. पाण्डेय, जे.एन. (2023) *भारत का संवैधानिक विधान,* सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, 58वाँ संस्करण।
12. The constitution of India.
13. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

14. Indian Penal Code, 1860 now Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
15. The Probation of Offenders Act, 1958.
16. The Child Laboure (Prohibition and Regulation) Act, 1986.
17. The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.
18. The Indian Majority Act, 1875.
19. The Child and Adolescent Laboure (Prohibition and Regulation) Act, 1986.
20. The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956.
21. The Guardians and Wards Act, 1890.
22. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

****